सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 39/2015 अपील
पंजीयन दिनांक — 23.10.2013
निर्णय दिनांक — 03.04.2018

1. श्री गोवर्धन सिंह पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी, निवासी घटियावली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री पर्वत सिंह पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी, निवासी घटियावली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़
3. श्री देवी सिंह पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी, निवासी घटियावली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़

— अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती धन कंवर पति स्व. श्री केशर सिंह भाटी, निवासी घटियावली हाल चित्तौड़गढ़
2. श्री कानसिंह पिता स्व. श्री केशर सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली हाल चित्तौड़गढ़
3. गुड्डी पिता स्व. श्री केशर सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली हाल चित्तौड़गढ़
4. सुमन पिता स्व. श्री केशर सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली हाल चित्तौड़गढ़
5. रूप कंवर पिता पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़
6. राधा कंवर पिता पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़
7. शांता कंवर पिता पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़
8. ललीता कंवर पिता पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़
9. कैलाश कंवर पिता पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी राजपूत, निवासी घटियावली तहसील चित्तौड़गढ़

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 43/2009 निर्णय दिनांक 17.06.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – वकील अपीलान्ट
2. श्री शहनवाज खां – वकील ररेस्पोंडेन्ट संख्या–1 से 4

निर्णय

दिनांक 03.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 43/2009 निर्णय दिनांक 17.06.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री गोवर्धन सिंह, पर्वत सिंह, देवी सिंह पिता स्व. श्री दौलत सिंह भाटी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि उनके पक्ष में उनके पिता स्व. श्री दौलतसिंह भाटी द्वारा उनके जीवनकाल में एक अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20.11.2006 को निष्पादित कर ग्राम घटियावली में स्थित अपने खातेदारी की भूमि का वारिस घोषित किया है। श्री दौलत सिंह भाटी के स्वर्गवास दिनांक 29.03.2009 उपरान्त अपीलान्ट द्वारा ग्राम घटीयावली में स्थित कृषि आराजीयात का नामान्तरकरण उनके हक में किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में अनुरोध किया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.06.2013 से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर मृतक स्व. श्री दौलत सिंह भाटी के नाम पर ग्राम घटियावली की जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के खाता संख्या 266 की आराजी न. 1518 से 1529 किता 12 रकबा 5.63 है, खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है, मृतक के बजाय उनके सभी वारिसान की जांच कर उनके नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा नामान्तकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013 स्वीकृत किया। उक्त आदेश दिनांक 17.06.2013 एवं नामान्तरकरण आदेश दिनांक 28.06.13 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोंडेंट संख्या–1 से 4 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.03.2018 को सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामें को नहीं मानकर पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि मृतक खातेदार श्री दौलत सिंह के बजाय उसके सभी वारिसान की जांच कर उनके नाम प्रश्नगत आराजीयात का नामान्तरकरण दर्ज किया जावे, यह निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को वसीयतनामा, जो खातेदार स्व. श्री दौलतसिंह जी द्वारा स्टाम्प लिखित एवं बकायदा नोटेरी से प्रमाणित, के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किया जाना था। अपीलान्टस् के पिता स्व. श्री दौलत सिंह जी के द्वारा की गई प्रमाणित वसीयत अनुसार उनके खाते के आराजी न. 1510 से 1529 किता 12 रकबा 5.63 हैक्ट. पर अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे है जिसमें रेस्पो संख्या 1 से 4 का कोई दखल नहीं रहा और न उनका कब्जा ही रहा क्योंकि खातेदार स्व. श्री दौलत सिंह ने अपने बड़े पुत्र श्री केशर सिंह के नाम गांधीनगर में प्लॉट खरीद कर मकान बनाया जिस पर रेस्पो. संख्या 1 से 4 काबिज है। इस प्रकार वह भूमि में किसी प्रकार का हक मांगने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 का उक्त भूमि पर काबिज नहीं होते भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त वारिसान की जांच कर उनके नाम प्रश्नगत आराजीयात का नामान्तरकरण दर्ज कराये जाने का आदेश दिनांक 17.06.2013 विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013 को अपास्त किया जाकर वसीयत के आधार पर अपीलान्टस् के नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1 से 4 ने बहस में बताया कि उक्त भूमि स्व. श्री दौलत सिंह भाटी पुश्तैनी होने से वह किसी को वसीयत नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2013 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013 में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, जिससे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित वसीयत को साबित किये जाने एवं अवैध करार किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अपने कथन के समर्थन में 2008(1) RRD पेज 131 एवं 1998 RRD पेज 553 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकर से स्पष्ट है कि मृतक स्व. श्री दौलत सिंह भाटी के नाम पर ग्राम घटियावली की जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के खाता संख्या 266 की आराजी न. 1518 से 1529 किता 12 रकबा 5.63 है, खातेदारी से दर्ज रिकार्ड थी। अपीलान्ट का कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय को वसीयतनामा, जो खातेदार स्व. श्री

दौलतसिंह जी द्वारा स्टाम्प लिखित एवं बकायदा नोटेरी से प्रमाणित, के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अधिवक्ता रेस्पों. का कथन कि उक्त भूमि स्व. श्री दौलत सिंह भाटी की पुश्तैनी होने से वह किसी को वसीयत नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है एवं विवादित वसीयत को साबित किये जाने एवं अवैध करार किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2013 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार चितौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2013 एवं स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 28.06.2013 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर